POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2018/अंक 07

मासिक प्रेषण दि. 8 जुलाई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

विश्व पर्यावरण दिवस

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जुलाई, 2018 मूल्य 50 पैसे

दैनिक जीवन में बदलाव लाकर करें पर्यावरण का संरक्षण!

प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग से मानव जीवन के साथ-साथ वन्य जीवों और पालतू पशुओं पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अक्सर देखा गया है कि इन थैलियों में फलों व सब्जियों के छिलके व अन्य खाद्य वस्तुएं बांधकर कचरे में बाहर फेंक दी जाती है। उन्हें गाय व अन्य पशु थैली सहित खा जाते हैं। इससे वह असमय मौत के शिकार तक हो जाते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचने और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कई बदलाव लाने होंगे।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'कट्स' द्वारा जयपुर में आयोजित 'प्लास्टिक मुक्त' जागरूकता कार्यक्रम में खासतौर पर यह उभरकर सामने आया। कार्यक्रम में जयपुर से लोकसभा सदस्य रामचरण बोहरा ने हर व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे वर्ष प्रयास करने की जरूरत जताई। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए नुक्कड़ नाटक व बाल सभाओं का आयोजन कर जागरूकता संदेश दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित जयपुर नगर निगम की पूर्व महापौर ज्योति खण्डेलवाल ने कहा कि हम कपड़े या जूट का थैला लेकर बाजार जाने की पुरानी परम्परा को भूल चुके हैं। हमें इस परम्परा को वापस अपनाना होगा। हमें अपने परिवार को बताना चाहिए कि प्लास्टिक थैलियां व अन्य सामान कचरे में न फैंक कर कबाड़ी वाले को दें, ताकि वह रीसाइकल हो सके और उसे गाय व अन्य जानवर नहीं खा सके।

इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों ने गायों को प्लास्टिक से बचाने एवं पर्यावरण संरक्षण पर काम करने का संकल्प लिया। इसके अलावा 'कट्स' द्वारा जयपुर में मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें संयुक्त रूप से प्लास्टिक से मुक्ति का संकल्प लिया गया।

आपके नाम चिट्ठी

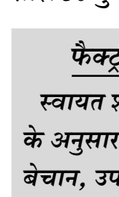

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार का विषय 'प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति'रखा गया है। महत्वपूर्ण यह है कि भारत इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है और सरकार इस दिन से प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए पूरे भारत में अभियान चला रही है।

प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसानों से वाकिफ होने के बावजूद आज हम सभी अपने दैनिक जीवन में कई तरह से प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्लास्टिक की वस्तुएं 1000 सालों तक भी पूरी तरह नष्ट नहीं होती है और इससे हमारी धरती, हवा, नदियां और महासागर तक प्रदूषित हो रहे हैं।

प्लास्टिक कचरा न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे पालतू पशुओं, वन्य प्राणियों और खेती के लिए लाभकारी जीव-जन्तुओं के लिए तो काल बन चुका है। प्लास्टिक की थैलियों और पॉलीथिन के साथ बांध कर फेंकी गई खाद्य सामग्रियों के साथ यह उनके पेट में इकट्ठी हो जाती है, जो उनकी मौत का कारण बनती है।

हालांकि भारत सरकार ने वर्ष 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कानून जारी कर प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री, वितरण आदि को विनियमित किया है, लेकिन कानून सही रूप में प्रभावित नहीं होने से समस्या बढ़ी है। प्लास्टिक वेस्ट को रीसाइकल कर फिर से उपयोग में लिया जा सकता है लेकिन हमारे यहां इसकी अभी तक भी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है।

प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान तभी सार्थक हो सकता है जब सरकार के साथ-साथ हर नागरिक इससे मुक्ति का संकल्प लें और प्लास्टिक उत्पादों का बहिष्कार करें।

भारी पड़ेगा प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल

प्रदेश में आठ साल से प्रभावी रोक के अभाव में घर-बाजारों में धड़ल्ले से काम आ रहे प्लास्टिक कैरी बैग पर रोक के लिए सरकार नगर पालिका एक्ट में बदलाव कर नियम और सख्त करने जा रही है। इसके तहत जुर्माना राशि 50 गुना तक बढ़ाने की तैयारी है। अब प्लास्टिक कैरी बैग बेचने,उसका उपयोग या संग्रहण पाए जाने पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। अभी जुर्माना राशि एक हजार रुपए तक है। इतना ही नहीं, दो बार पकड़े जाने के बाद भी प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल, बेचान या उत्पादन जारी रखने पर माल सहित फैक्ट्री आदि सभी सील होंगे।

राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 में बदलाव का ड्राफ्ट नगरीय विकास मंत्री को भेजा गया है। मुख्यमंत्री के स्तर से इसकी पूरे प्रदेश में घोषणा की तैयारी हैं। लेकिन मंत्री की अनुमति के बाद कैबिनेट मंजूरी लेकर जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होगी।

फैक्ट्री व दुकान सील होगी

स्वायत शासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पहली बार प्लास्टिक का बेचान, उपयोग या संग्रहण पाए जाने पर 5 हजार तक, दूसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार और तीसरी बार पकड़े जाने पर 50 हजार रुपए तक जुर्माने के अलावा संबंधित प्रतिष्ठान, दुकान, फैक्ट्री आदि भी सील किए जाएंगे।

ट्रेन में मिला खराब खाना, उपभोक्ता मंच ने दिलाया हर्जाना

रेलवे में अक्सर खराब खाने की शिकायत आती रहती है। लेकिन खाने की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं आ रहा। हाल ही में खराब खाने की शिकायत करने वाली एक महिला को उपभोक्ता मंच ने राहत दी है। मंच ने रेलवे प्रशासन को 10 हजार रुपए बतौर जुर्माना महिला को देने का आदेश दिया।

मामले के अनुसार शालिनी जैन नाम की महिला अपने दो बच्चों के साथ 3 जुलाई 2016 को चंडीगढ़ से दिल्ली कालका-नई दिल्ली शताब्दी ट्रेन में सफर कर रही थी। उसने टिकट में कैटरिंग शुल्क के रूप में 270 रुपए खाने के लिए भी चुकाए थे। उनको दिए गए खाने में कीड़े निकलने से वह खाना नहीं खा सकी और उसके बच्चे भी भूखे ही रह गए। उन्होंने इसकी शिकायत ट्रेन के स्टाफ से की, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। टीटीई ने भी उनकी शिकायत को दर्ज नहीं किया। उन्होंने अक्टूबर 2016 में इसकी शिकायत रेल मंत्री से भी की और बताया कि रेलवे ने खाने के पैकेट को वापस लेने से भी मना कर दिया था। लेकिन कोई हल नहीं निकला।

समस्या का समाधान नहीं निकलने पर हारकर महिला ने उपभोक्ता मंच की शरण ली, जहां उन्हें न्याय मिला। मंच ने कैटरिंग सर्विस की सेवाओं में कमी मानी और रेलवे प्रशासन को आदेश दिया कि वह शालिनी जैन को 10 हजार रुपए बतौर हर्जाना अदा करें।

इस साल लगाएं रिकॉर्ड पेड़

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील करते हुए कहा है कि इस वर्ष बरसात के मौसम में रिकॉर्ड वृक्षारोपण का लक्ष्य तय किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी भारत कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में विश्व में भारत के बढ़ते नेतृत्व का प्रतीक है।

मोदी ने कहा कि कम गुणवत्ता वाली प्लास्टिक और पॉलीथीन के इस्तेमाल से प्रकृति, जन स्वास्थ्य, वन्य प्राणियों व पशु-पक्षियों पर बुरा असर पड़ रहा है। हमें प्रकृति की रक्षा के प्रति संवेदनशील और सहज स्वभाव से संस्कारित होना चाहिए।

भारत ने वैश्विक नेतृत्व दिखाया

विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत में हुए कार्यक्रमों को ऐतिहासिक बताते हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रमुख एरिक सोलहेम ने इसके लिए भारत की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि भारत ने 'एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक' को 2022 तक समाप्त करने की घोषणा कर अपने 'वैश्विक नेतृत्व' को दिखाया है।

उल्लेखनीय है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने इस तरह के प्लास्टिक को 2022 तक भारत में समाप्त करने का संकल्प व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक बनें

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत और जागरूक रहने का आह्वान करते हुए कहा है कि हमें सीमित मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। इससे हमारी भावी पीढ़ी को सुखद वातावरण मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। पर्यावरण की अनदेखी का ही परिणाम है कि इन दिनों प्राकृतिक खतरे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति को जहां तक संभव हो मूल स्वरूप में रखने की कोशिश करें। हम सभी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और प्लास्टिक बैग्स का उपयोग नहीं करें। साथ ही पानी, बिजली और अन्न बचाएं।

वनक्षेत्र होंगे प्लास्टिक मुक्त

प्रदेश के वनक्षेत्रों और उद्यानों को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए वन विभाग ने एक अच्छी पहल शुरू की है। अब कोई भी वन क्षेत्रों और उद्यानों में प्लास्टिक का सामान और थैलियां नहीं ले जा सकेगा। अगर कोई साथ लेकर आएगा तो उसे भी मुख्य गेट पर ही प्लास्टिक का सामान छोड़ना होगा।

इसके साथ ही वन क्षेत्रों में सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। जहां भी प्लास्टिक की कोई भी वस्तु और थैलियां दिखाई देगी उन्हें संग्रहित कर पुनः निर्माण व रीसाइकल करने को भिजवाया जाएगा। हाल ही विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर स्थित वनों और उद्यानों में स्टाफ और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा मिलकर सफाई अभियान चलाया गया और 125 कट्टे प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथिन एकत्रित की गई।

ग्रामीण बढ़ा रहे भू-जल स्तर

प्रदेश के कई गांवों में जल संकट है लेकिन अजमेर के कुछ गांवों के ग्रामीण 'सोकपिट' और 'मैजिकपिट' बना कर पानी की बूंद-बूंद सहेजते हुए भू-जल स्तर बढ़ा रहे हैं।

गजब के वेस्ट वॉटर मैनेजमेंट की मिसाल बने खेड़ा, नोहरिया, मुंडोती, फलोदा और सिरोही कला गांव में देखने को मिल रही है। इन गांवों में 100 से भी अधिक की संख्या में 'सोकपिट' बनाए जा चुके हैं। नतीजतन गांव के आसपास के कुएं-बावड़ियों में जल स्तर पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर हुआ है। मैजिकपिट-सोकपिट 250 से 500 रुपए में बन जाता है।

पेड़ों को मानते है अपनी संतान

सीकर जिले में श्रीमाधोपुर के लिसाडिया गांव के रहने वाले 72 वर्षीय बजरंग सिंह रावत के कोई संतान नहीं है। उन्होंने अपना जीवन पेड़ पौधों को समर्पित कर दिया। वह पेड़ों को ही अपनी संतान मानते हैं। जवानी की दहलीज से लेकर बुढ़ापे की इस उम्र में भी गांव मे अपने कंधे पर पानी का पीपा रखे दिखाई देते हैं।

उनके लगाए करीब 125 वटवृक्षों, पीपल, गुलमोहर जैसे कई वृक्षों की छाया में राहगीर सुकून की सांस लेते हैं। गांव की सरपंच मधुदेवी का कहना है कि इससे पर्यावरण भी शुद्ध हुआ है। इतने वृक्षों को पुत्र के समान पाल-पोस कर उन्होंने समाज को उच्च कोटि का संदेश दिया है।

प्लास्टिक मुक्त करने का लिया संकल्प

'कट्स' मानव विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ और ग्राम पंचायत नेतावलगढ़ पाछली के संयुक्त तत्वावधान में विश्व पर्यावरण दिवस पर 'प्लास्टिक मुक्त भारत में समुदाय की भूमिका' विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए नेतावलगढ़ पाछली के सरपंच रामेश्वर लाल धाकड़ ने प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें अपने घर से प्लास्टिक मुक्त घर की शुरुआत करनी होगी।

गोष्ठी में 'कट्स' के केन्द्र समन्वयक गौहर महमूद ने पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाने का संदेश दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। इस अवसर पर विशिष्ठ अतिथि के रूप में राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल के अधिकारी पुरूषोत्तम दास वैष्णव ने सामाजिक स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। गोष्ठी में उपस्थित कई अन्य महानुभावों ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने अपने घर को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प लिया।

बढ़ रहा है प्लास्टिक कचरा

देश में इलेक्ट्रिक उपकरणों और प्लास्टिक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इससे ई-वेस्ट प्लास्टिक, पॉलीथिन का कचरा काफी बढ़ रहा है। सरकार के पास अभी भी इस तरह के कचरे के संग्रहण के सटीक आंकड़े तक नहीं है।

राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। इसके विखंडन और रीसाइकल के लिए करीब 10 इकाइयां है। जिनकी क्षमता करीब 68 हजार 670 टन है। यह काफी कम है। सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर रोक तो लगाई है लेकिन गंभीरता नहीं दिखाई। इससे बड़े पैमाने पर इसका उपयोग हो रहा है।

हिन्दी का पहला अखबार 'उदन्त मार्तण्ड'

हिन्दी का प्रथम समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' था। कलकत्ता से 30 मई 1826 को एक साप्ताहिक पत्र के रूप में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। इसके प्रकाशक व संपादक पंडित जुगल किशोर सुकुल थे। तब अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में तो समाचार पत्र खूब निकलते थे, किन्तु हिन्दी में एक भी नहीं। भारत में यह दिन हिन्दी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाते हैं।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485